राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर)

क्रमांक एफ20(191)आजभूस/पी.एफ.सी./2016/6581-6658 दिनांक: 6.5.16

जिला कलक्टर,
समस्त

विषयः– मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत डी.पी.आर. में प्रस्तावित किये गये कार्यो में संशोधन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत प्रथम वर्ष में चयनित गाँवों में अभियान अन्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यों हेतु डी.पी.आर. तैयार की गई थी, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर मुख्यतः जल संरक्षण के कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। दिनांक 04–05 मई 2016 को माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा ली गई कलक्टर कांफ्रेंस में जिला कलक्टरों द्वारा निजी भूमि पर कृषक की सहमति नहीं होने के कारण डी.पी.आर. के अनुरूप शत–प्रतिशत कार्य सम्पादित करने में कठिनाई महसूस की जा रही है। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. कृषकों की कृषि योग्य निजी भूमि पर यदि कुछ कृषक निजी कारणों से कार्य करवाने पर सहमत नहीं हैं, तो अभियान अन्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यों के लाभों के बारे में उनसे चर्चा की जावे। फिर भी यदि वे सहमत नहीं हैं तो अन्य कृषकों को अभियान से जोड़कर उनकी भूमि पर लगभग उतने ही कार्य उनकी सहमति से करवाये जायें।
2. उक्तानुसार डी.पी.आर में आवश्यक संशोधन जिला कलक्टर के स्तर पर कर हटाये गये कार्य मय जियो टेगिंग सूची एवं नवीन प्रस्तावित कार्यों की जियो टेगिंग सहित सूची इस कार्यालय को प्रेषित की जावे।
3. डी.पी.आर. में संशोधन में यह ध्यान रखा जावे कि अभियान की मार्गदर्शिका के अनुसार परियोजना क्षेत्र में जल संरक्षण के इतने कार्य अवश्य लिये जावें कि अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके।
4. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि समस्त कार्य निर्धारित अवधि 30 जून 2016 तक पूर्ण हो सकें।

यहाँ यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अभियान का उद्देश्य चयनित गाँवों को जल आत्म निर्भर बनाना है। अतः यदि डी.पी.आर. में प्रस्तावित कार्यों में उपरोक्त कारणों से बदलाव की आवश्यकता है, तो जिला कलक्टर के स्तर पर इस सम्बन्ध में अभियान के दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवश्यक संशोधन कर संशोधित स्वीकृतियाँ जारी करते हुए इस कार्यालय को अवगत करावें।

(अनुराग भारद्वाज)
आयुक्त

क्रमांक एफ20(191)आजभूस / पी.एफ.सी. / 2016 / 6581-6658 दिनांक: 6.5.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर ।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर ।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
11. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त समस्त।
12. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर।
13. परियोजना प्रबन्धक एवं अधीक्षण अभियन्ता, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद समस्त ।

आयुक्त